



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020

भाद्रपद 24, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या 11/2020/902/तीस-4-2020

लखनऊ, 15 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

सा०प०नि०-58

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (3) खण्ड (ग-क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल नीचे अनुसूची में दिये गये मार्ग पर मंजिली गाड़ी चलाने का निश्चय करती हैं :-

अनुसूची

क्रमांक	मार्ग का नाम	दूरी (कि०मी०)
1	2	3
1	लखनऊ-गोरखपुर वाया अयोध्या-विक्रमजोत-बस्ती मार्ग	278

आज्ञा से,
राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 11/2020 /902 /XXX-4-2020, dated September 15, 2020:

No. 11/2020 /902 /XXX-4-2020

Dated Lucknow, September 15, 2020

IN exercise of the powers conferred under clause (ca) of sub-section (3) of section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988), the Governor is pleased to formulate the routes given in the Schedule below for plying stage carriages :-

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Route	Distance (in Km.)
1	2	3
1	Lucknow-Gorakhpur via Ayodhya-Vikramjot-Basti Route	278

By order,

RAJESH KUMAR SINGH,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 266 राजपत्र-2020-(667)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 11 सा० परिवहन-2020-(668)-100 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।